

(भारत के राजपत्र के भाग-1, खण्ड-2 में प्रकाशनार्थ)

संख्या-13017/39/2013-अ.भा.से.(I)

भारत सरकार


कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय  
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

\*\*\*\*\*

नई दिल्ली, दिनांक: 3.2.2014

अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) विनियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पंजाब सरकार और गृह मंत्रालय की सहमति से केन्द्र सरकार, श्री सर्वजीत सिंह, आईएएस (पंजाब : 92) की तीन वर्ष के लिए वित्त सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन के रूप में नियुक्ति के लिए पंजाब संवर्ग से एजीएमयूटी संवर्ग में उनकी अंतर संवर्गीय प्रतिनियुक्ति हेतु गृह मंत्रालय के प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान करती है।



(एस. एस. शुकला)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष : 23092695

सेवा में

प्रबंधक

भारत सरकार मुद्रणालय

फरीदाबाद (हरियाणा)